77

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3799-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 26.10.2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना प्रकरण क्रमांक 83/2006-07/स्व. निगरानी

तजमुल हुसैन पुत्र सब्बल हुसैन
निवासी- धाम मोहल्ला पन्ना, वार्ड नं. 8
हाजी बिल्डिंग के सामने (कचहरी रोड)
फारुखकिया मदरसा के बगल में जिला पन्ना (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. चौहान
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश
(आज दिनांक...22/03/18.....को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना प्रकरण क्रमांक 83/2006-07/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम पुरुषोत्तमपुर पटवारी हल्का नं. 13 में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 233 रकवा 0.809 हे. भूमि पर सन् 1983 से कब्जा होने से तहसीलदार के समक्ष व्यवस्थापन हेतु आवेदन दिया। जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तिहार

जारी कर एवं पटवारी की रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 30.10.1993 को आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए गए। तहसीलदार के उक्त प्रकरण को कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा लगभग 14 वर्ष बाद स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदक को दिनांक 26.10.2016 को सूचना-पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर के उक्त सूचना-पत्र के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को म.प्र. दखल रहित भूमि विशेष उपबन्ध अधिनियम-1984 के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु व्यवस्थापन प्रदान किया जाकर भूमिस्वामी घोषित किया गया, किन्तु कलेक्टर महोदय द्वारा लगभग 14 वर्षों बाद आवेदक के प्रकरण को विधि विरुद्ध तरीके से स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को दिनांक 26.10.2016 को सूचना-पत्र जारी किया गया है इस कारण निगरानी स्वीकार योग्य है। जिसके समर्थन में न्याय दृष्टांत 1999 आर.एन. 363 मोहन तथा अन्य बनाम म.प्र. राज्य अवलोकनीय है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा-50 स्वमेव निगरानी के अंतर्गत स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग हेतु 6 वर्ष से अधिक समय पश्चात कारण बताओ सूचना ऐसी शक्तियां लम्बा समय व्यतीत होने के पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं। जिसके समर्थन में निम्न न्याय दृष्टांतों 1998(1) डब्ल्यू.एन.-26 - मोहम्मद काब्री बनाम फातिमा बाई, 1996 आर.एन. 80 हाईकोर्ट- हमीर सिंह बनाम म.प्र. शासन, 1997 आर.एन. 218 हाईकोर्ट - 1990 आर.एन. 77 हाईकोर्ट, 1990 आर.एन. 407 हाईकोर्ट - ए.आई.आर. 1969 सुप्रीमकोर्ट 1297 का हवाला दिया गया है।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है केवल कारण बताओ सूचनापत्र प्रदाय किया है। आवेदक को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। अत: आवेदक की निगरानी प्रीमैच्युर होने से निरस्त की जाये ।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी उसे नोटिस के विरूद्ध

प्रस्तुत गई है। नोटिस का जबाव न देते हुए इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि वह जान-बूझकर प्रकरण का निराकरण नहीं चाहते हैं। आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर